न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2022

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गुड जोन हॉस्पीटिलिटी, ग्राम तलेटी(जाम्बुडी), तहसील आबूरोड जरिए डायरेक्टर श्री जोगेन्द्र पटेल पुत्र श्री प्रहलादसिंह जाति पटेल निवासी अहमदाबाद हाल ग्राम तलेटी(जाम्बुडी), तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री जब्बर सिंह, नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 17.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 के विरूद्ध दिनांक 07.03.2022 को प्रस्तुत की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा ग्राम तलेटी (मीन) पटवार हल्का जाम्बुडी तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 188 रकबा 0.19 बीघा किस्म गै.मु.मगरी पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 125/- [illegible] आरोपित करने के एक तरफा आदेश पारित किये ग[illegible] विधिसम्मत नही है। यह है कि खसरा संख्या 18[illegible] 181/2, 186/4 [illegible] की खातेदारी तथा कब्जा काश्त की भूमि है [illegible]सके चारों ओर बाउण्[illegible] का निर्माण कार्य अपीलांट द्वारा किया गया है। अपीलांट द्वारा मौजा तलेटी के खसरा संख्या 188 की आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

उसको अपनी बाउण्ड्री में शामिल किया है। अपीलांट को जिस भूमि का कब्जा पूर्व विक्रेता द्वारा दिया गया था, उसी स्थान पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को संस्थित कर नोटिस अपीलांट को जारी किया, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 03.08.2021 को जवाब प्रस्तुत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता नियुक्त कर दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है, जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर कर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताया गया था कि आगामी पेशी आने पर अधिवक्ता नियुक्त कर आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है, लेकिन उसके बाद में अपीलांट को कोई सूचना तारीख पेशी बाबत प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 02.03.2022 को एक नोटिस रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को भेजा गया, जिसमें दिनांक 03.08.2021 को निर्णय पारित किया जाना तथा अतिक्रमी मानकर निर्माण तोडने की जानकारी दी गई, जिस पर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पारित निर्णय की जानकारी हुई। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट के पीठ पीछे एक तरफा निर्णय पारित किया गया है तथा जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 188 की कितनी भूमि पर अतिचार किया है, यह निर्णय में नहीं बताया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त खसरा संख्या 188 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर कभी भी पैमाईश नहीं की गई। अतः पैमाईश के बिना अपीलांट के खसरा संख्या व अन्य खसरा संख्या 188 की पहचान किया जाना सम्भव नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। यह है कि अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के [illegible]टन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का [illegible] बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो [illegible] भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारि[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन मगरी दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2021 मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट को उपस्थित बताया गया है, जिसमें अपीलांट स्वयं ने हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा यह भी जाहिर किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही निर्णय पारित किए जाने की जानकारी थी। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 को अपीलांट स्वयं उपस्थित था एवं अपीलांट द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में किए थे, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 की जानकारी थी। अतः अपीलांट अधिवक्ता यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का जाम्बुडी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा तलेटी (मीन) पटवार हल्का जाम्बुडी तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 188 रकबा 0.19 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरी पर अपीलांट ने अवैध चार दीवारी निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 188 पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अपीलांट को जिस भूमि का कब्जा पूर्व विक्रेता द्वारा दिया गया था, उसी स्थान पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक सांतपुर एवं पटवारी हल्का जाम्बुडी द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 में यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 188 की भूमि खाली पडी हुई है एवं मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं है। इसके पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक सांतपुर एवं

जिला कलेंक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:09 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का जाम्बुडी द्वारा ही खसरा संख्या 188 का सीमाकंन किया गया, जिसके आधार पर उनके द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 में यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलांट द्वारा स्वयं के खसरा संख्या 186/1 की सीमा से खसरा संख्या 188 तक 346 फीट तक परकोटा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। अतः उपरोक्त दोनों रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 2020 में खसरा संख्या 188 पर अतिक्रमण नहीं कर रखा था, परन्तु नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 में अपीलांट का अतिक्रमण माना गया है। अतः भू–अभिलेख निरीक्षक सांतपुर एवं पटवारी हल्का जाम्बुडी द्वारा तैयार दोनों मौका फर्द रिपोर्टों में विरोधाभास होने से न्यायहित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त खसरा संख्या 188 एवं 186/1 का पुनः सीमा ज्ञान किया जाने के बाद अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाने पर उनके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्ध नरमाई का रूख अपनाते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 07/2021 में पारित का निर्णय दिनांक 03.08.2021 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 188 एवं 186/1 का पुनः सीमा ज्ञान करवाया जाकर यदि खसरा संख्या 188 पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय विधि में दिये गये प्रावधानों अनुसार नये सर निर्णय पारित कर निर्णय की पालना करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:18:09 IST
Reason: SelfAttested